न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

प्रकरण संख्या 13/2015

बउनवान

रामगोपाल दत्तक पुत्र केदारलाल पुत्र बद्रीलाल आयु 70 वर्ष जाति धाकड़ निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड़ निवासी माथनी
2. दुर्गाशंकर पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड़ निवासी माथनी
3. कमलाबाई बेवा भवानीशंकर जाति धाकड़ निवासी माथनी
4. मुकेश कुमार पुत्र भवानीशंकर जाति धाकड़ निवासी माथनी
5. दीपक उर्फ मोहित कुमार पुत्र भवानीशंकर जाति धाकड़ निवासी माथनी
6. प्रेमबाई पुत्री बद्रीलाल पत्नि जगदीश जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा बारां जिला बारां
7. भूलीबाई पुत्री बद्रीलाल पत्नि योगेन्द्र कुमार जाति धाकड़ निवासी नलका तह0 बारां
8. द्रोपदी बाई पुत्री बद्रीलाल पत्नि मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी बमोरीकलां तह0 मांगरोल जिला बारां

(रेंस्पोडेंटगण)

अपील विरूद्ध इन्तकाल क्रमांक 1895 दिनांक 10.09.2014 ग्राम सीसवाली तह0 मांगरोल

उपस्थिति :– 1. श्री ओम प्रकाश मेहता II अभिभाषक (अपीलांट)
2. श्री कमलदीप सिंह हाड़ा अभिभाषक (रेस्पो. क्रम–1 ता 7)

निर्णय दिनांक 22.03.2021

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट को बिना सुने व बिना जानकारी के हल्का पटवारी सीसवाली द्वारा कमला बेवा बद्रीलाल के देहान्त होने पर इंतकाल क्रमांक 1895 दिनांक 30.01.2014 [illegible] किया जिस पर आई.एल.आर. द्वारा दिनांक 18.01.2014 को अपनी रिपोर्ट दी [illegible] तथा नायब तहसीलदार सीसवाली द्वारा दिनांक 10.09.2014 को नामान्तकरण तस्दीक किया, जबकि रेस्पोडेन्टगण द्वारा इन्ही आराजीयात के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल के यहां [illegible] क्रमांक 16/2014 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.[illegible] क्रमांक 9/2014 बउनवान श्यामलाल बनाम रामगोपाल वगैरा प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें उक्त नामान्तकरण से पूर्व ही न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टगण के प्रार्थना पत्र पर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है फिर भी उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:47 IST
Reason: Self Attested

नामान्तकरण खोला जाकर तस्दीक किया गया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्तनीय है।

ग्राम सीसवाली की इन्ही आराजियात् के संदर्भ में इंतकाल क्रमांक 36 दिनांक 14.06.1992 के विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपील न्यायालय जिला कलक्टर, बारां में प्रकरण संख्या 2/14 निर्णय दिनांक 06.08.2014 बउनवान श्यामलाल बनाम रामगोपाल की गई थी जिसमें न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मूल अधिकार दावे में तय होंगे यह कहते हुये उक्त अपील की कार्यवाही दावा विचाराधीन रहने तक स्टे की गई है। इन सभी तथ्यों को छुपाकर रेस्पोडेन्टगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके इंतकाल क्रमांक 1895 दिनांक 10.09.2014 खुलवाया गया जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, इन्तकाल नं0 1895 दिनांक 10.09.2014 ग्राम सीसवाली निरस्त कर मूल वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के निर्णय तक राजस्व रिकार्ड में अन्य किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किये जाने बाबत आदेश फरमावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट क्रम–1 ता 7 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये।

बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व अभिभाषक रेस्पोडेंटगण की सुनी। बहस के दौरान अपीलांट के अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि इन्ही आराजीयात बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में विचाराधीन वाद क्रमांक 16/2014 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. क्रमांक 9/2014 बउनवान श्यामलाल बनाम रामगोपाल वगैरा में स्थगन आदेश होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्टगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त नामान्तकरण खुलवाकर तस्दीक करवा लिया। अपीलांट अपीलाधीन आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार है, मूल खातेदार बद्रीलाल के फोत होने पर खोला गया इंतकाल कमला व अपीलांट के नाम पर खोला गया था। अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार कमला बेवा बद्रीलाल के फोत होने पर खोला जाकर तस्दीक किया गया है। तथा उक्त नामान्तकरण से पूर्व ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा रेस्पोडेन्टगण के प्रार्थना पत्र पर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है फिर भी उक्त नामान्तकरण खोला जाकर तस्दीक किया गया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में विचाराधीन वाद के निर्णय तक नामान्तकरण क्रमांक 1895 दिनांक 10.01.2014 ग्राम सीसवाली निरस्त करमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेंट क्रम–1 ता 7 ने कथन किया कि खातेदार बद्रीलाल की आराजीयात ग्राम माथना, तहसील बारां में तथा कमलाबाई के पिता केदारलाल पुत्र शंकरलाल धाकड़ के खाते की आराजीयात ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल में स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:47 IST
Reason: SelfAttested

थी। खातेदार केदारलाल फोत होने पर उसकी बेवा बिरजीबाई व पुत्री कमलाबाई वारिस होने से फोती इन्तकाल क्रमांक 458 दिनांक 17.05.1979 दर्ज किया गया लेकिन इंतकाल का अमल करते समय मात्र बिरजीबाई का नाम ही खाते में दर्ज किया गया तथा बिरजीबाई के फोत होने पर अपीलांट ने ग्राम पंचायत सीसवाली से मिलकर बिरजीबाई का गोद पुत्र बनकर 1/2 हिस्से पर स्वंय का नाम दर्ज करवा लिया तथा 1/2 हिस्से पर कमलाबाई, जो कि अपीलांट व रेस्पोडेन्टगण की जाईन्दा माता है, का नाम आया। परन्तु उक्त आराजीयात पर हमारा संयुक्त कब्जा था। अपीलांट आराजी बेचने पर आमादा हुआ तब रेस्पोडेंटगण ने दावा प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय द्वारा यथास्थिति का आदेश पारित किया गया। यदि उक्त नामान्तकरण निरस्त किया गया तो रेस्पोडेंटगण के अधिकार प्रभावित होंगे। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपात अवलोकन किया इससे पाया जाता है कि पक्षकारान के मध्य प्रश्नगत आराजी के संबंध में घोषणा का वाद व प्रार्थनापत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के यहां विचाराधीन है तथा नामान्तकरण एक समरी ट्रायल व फिसकल (Fiscal) कार्यवाही है। पक्षकारान के मूल अधिकार विचाराधीन वाद में ही तय होंगे।

अतः अपील नामान्तकरण की कार्यवाही दावा विचाराधीन रहने तक स्टे (Stay) की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:47 IST
Reason: SelfAttested